



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप-"अ")

FZ-168562

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम गुलसरन कौर एवं सचिव सन्तोख सिंह खालसा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री गुरु रामदास जी एजुकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएशन ट्रस्ट, बाजार कलां, बिलासपुर जनपद रामपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा खालसा कॉलेज ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम नगरिया, तह0 मिलक जनपद रामपुर नामक में गाटा संख्या 372 एवं 0.255 रकवा क्रमशः 373 एवं 0.251 हेक्टेयर (कुल रकवा 5060 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 372 व 373 एवं 5060 रकवा (कुल रकवा 5060 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 18.04.2018 द्वारा पारित किया गया है।

Babu Ram Gal,
Notary
Teh: Milak Distt. Rumpur
Reg. No. 59105185

DEPONENT

गुलसरन कौर

Gulsharan

क्र० सं०.....1767.....

स्वाम्य विक्रय करने की तारीख...24-9-23

स्वाम्य क्रय करने का प्रयोजन...हद...

स्वाम्य क्रय करने वाले का नाम पता...ज्वा लसा कालेज हायक चामेशी नगरिया

स्वाम्य भग्नांश.....100%.....जिल्ला - रामपुर



कि. निम्नलिखित विवरण में...

कि. संख्या... कि. नं०...

कि. नं०... कि. नं०...

कि. नं०... कि. नं०...

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालक हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अर्न्तगत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसे की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

IDENTIFIED BY Swati

Certify that Shri Gulshan Kaur/Santokh Singh (Khalsa/Mr. Ramdas) ji

DEPONENT Swati ...
 Identified by Swati ...
 Sworn and affirmed ...
 in my presence ...
 on Friday, Date 02.09.23, 11:07 AM
 at ...
 I have read and understand its contents
 H.O. सचिव Swati
 H.O. अध्यक्ष Gulshan Kaur
 Notary Babu Rajender Singh
 Teh. Milak Distt. Rampur
 Reg. No. 59/05/89